न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1115/2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. अवध किशोर यादव उर्फ अवध किशोर प्रसाद यादव वल्द राम सिंगार यादव उर्फ राम सिंगार राय उम्र करीब 55 वर्ष
2. लालकिशोर यादव उर्फ मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार यादव वल्द राम सिंगार यादव उर्फ राम सिंगार राय उम्र करीब 44 वर्ष
3. अरज किशोर यादव उर्फ अरज किशोर प्रसाद यादव वल्द राम वकस यादव उर्फ राम वकस राय उम्र करीब 46 वर्ष
4. सुरेन्द्र यादव उर्फ सुरेन्द्र प्रसाद यादव वल्द राम वकस यादव उर्फ राम वकस राय उम्र करीब 46 वर्ष
5. विजय यादव उर्फ विजय प्रसाद यादव वल्द राम वकस यादव उर्फ राम वकस राय उम्र करीब 38 वर्ष
6. राम श्रृंगार यादव उर्फ राम श्रृगांर राय वल्द भैयाराम यादव उम्र करीब 71 वर्ष
7. संगीता देवी पति अरज किशोर यादव उम्र करीब 44 वर्ष

ग्राम–लक्ष्मीपुर भथोहिया, थाना–आदापुर, जिला–पूर्वी चम्पारण............आवेदकगण ।

बनाम

बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदकगण की ओर से – श्री विनोद कुमार प्रसाद ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक ।

आदेश

07.04.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदक/अभियुक्तगण अवध किशोर यादव उर्फ अवध किशोर प्रसाद यादव, लालकिशोर यादव उर्फ मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार यादव, अरज किशोर प्रसाद उर्फ अरज किशोर प्रसाद यादव, सुरेन्द्र यादव उर्फ सुरेन्द्र प्रसाद यादव, विजय यादव उर्फ विजय प्रसाद यादव, रामश्रृंगार यादव उर्फ रामश्रृंगार राय एवं संगीता देवी की ओर से आदापुर थाना कांड संख्या–206/2022, धारा–341, 323, 324, 307, 354, 379, 504/34 भा.दं.सं. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक रामभरोस यादव का कथन है कि दिनांक 01.07.2022 को वह अपने घर से निकल कर दरवाजा पर आया तभी अवधकिशोर यादव, लालकिशोर यादव उर्फ मनोज यादव, अरजकिशोर यादव,

सुरेन्द्र यादव, विजय यादव, रामश्रृंगार यादव, संगीता देवी अपने हाथ में लाठी, फरसा, नलकटी लेकर आए तथा अवधकिशोर यादव गाली देते हुए बोले कि मारो, इसी पर लालकिशोर यादव उर्फ मनोज यादव अपने हाथ में लिए फरसा से जान मारने की नियत से उसके सर पर चलाया तब वह अपने को बचाने हेतु हाथ से रोका जिससे उसका बाया हाथ जख्मी हो गया और खून बहने लगा तभी पुनः दोबारा फरसा चलाया जो उसके सर के उपर लगा जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर पड़ा तभी अरज किशोर यादव अपने हाथ में लिए लोहा के रड से मारे जिससे उसके सर के पीछे जख्म लगा उसे बचाने उसके चाचा भुपेन्द्र यादव आए तो सुरेन्द्र यादव अपने हाथ में लिए लाठी से जान मारने की नियत से सर पर चलाए बचने के कम में लाठी उसके कंधा पर लगा वह भागने का प्रयास किया तो विजय यादव लाठी से उसके पैर पर मारे अन्य लोग उसे तबाड़तोड़ लाठी लोहे के रड से मारने लगे जिससे उसके विभिन्न जगहो पर चोट लगा और वह बेहोश हो गया भुपेन्द्र यादव ने बताया कि अवध किशोर यादव अपने हाथ में लिए नलकटी से फायरिंग किए और बोला कि घर लूट लो। सभी लोग उसके घर में घुस गए, लालकिशोर यादव उर्फ मनोज यादव उसके घर में रखे टीन के पेटी जिसमें वह अपनी बहन के शादी हेतु सोना एवं चांदी का गहना कीमत चार लाख रूपया सुरेन्द्र यादव , कपड़ा साठ हजार रूपया का चोरी के उठाकर दोनो आदमी लेकर भाग गए तथा उसके अलमीरा में शादी हेतु रखा नगर एक लाख पच्चास हजार विजय यादव ताला तोड़कर बनीयत चोरी निकाल लिए। उसकी पत्नी सीमा देवी विरोध किया तो संगीता देवी बाल पकड़ कर पटक दी तथा लात मुक्का से मारने लगी। तभी अवधकिशोर यादव आए और और उसकी पत्नी का साड़ी खींच लिए जिससे वह वेपर्दा हो गयी । उसके गला से सोने का चैन कीमत पैतालीस हजार रूपए का बनीयत चोरी संगीता देवी निकाल ली।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदकगण संगीता देवी, अरज किशोर यादव उर्फ अरज किशोर प्रसाद यादव एवं विजय यादव के द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 3982/2022 दाखिल किया गया था, जो संचालन के अभाव में खारिज किया जा चुका है। इसके सिवाय अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक संख्या–1 अवध किशोर यादव उर्फ अवध किशोर प्रसाद यादव के विरूद्ध आदापुर थाना कांड संख्या–122/2014 एवं आवेदक संख्या–2 लाल किशोर यादव उर्फ मनोज कुमार यादव के विरूद्ध आदापुर थाना कांड संख्या–

82/2014 दर्ज है। शेष आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने आरोपित घ टना को कारित नहीं किया है, उन्हें पूर्व दुश्मनी एवं जमीनी विवाद के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदकगण एवं सूचक एक ही गांव के है एवं आपस में पड़ोसी तथा पट्टीदार है एवं उनके बीच जमीनी विवाद चल रहा है। धारा– 324, 307, 354 एवं 379 भा.दं.सं. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। उक्त धारा मामले को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। यह मामला आदापुर थाना कांड संख्या– 198/2022 का पलटा मामला है। आवेदकगण को आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अतः अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । आवेदकगण के विरूद्ध सूचक एवं उसके चाचा को लोहा के रड, फरसा एवं लाठी से सर पर मारपीट कर जख्मी देने, उसकी पत्नी का कपड़ा फाड़कर वेपर्द करने एवं घर में घुसकर लूटपाट करने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका–16 में सूचक रामभरोस यादव का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी के सर पर 8cm का कटा हुआ जख्म पाया गया तथा एन.सी.सी.टी हेड प्रतिवेदन सामान्य बताया गया है, जिसे कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का बताया गया है। जख्मी को एकमात्र जख्म होना बताया गया है तथा हमले की पुनरावृति नहीं हुई है। अन्य किसी जख्मी का कोई जख्म प्रतिवेदन कांड दैनिकी पर उपलब्ध नहीं है। कांड दैनिकी की कंडिका–21 एवं 22 के साक्षियों द्वारा अपने कथन में घर में घुसकर चोरी करने एवं सूचक की पत्नी का कपड़ा खींचने की घटना की बात नहीं कहा गया है। कांड दैनिकी की कंडिका– 26 में आवेदक अवध किशोर यादव के विरूद्ध आदापुर थाना कांड संख्या– 122/2014 एवं आवेदक लालकिशोर यादव उर्फ मनोज यादव के विरूद्ध आदापुर थाना कांड संख्या–82/2014 दर्ज होना अंकित है। उभय पक्षों के बीच पलटा मुकदमा आदापुर थाना कांड संख्या– 198/2022 एवं जमीनी विवाद चल रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध आरोप की

प्रकृति एवं जख्म की साधारण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण अवध किशोर यादव उर्फ अवध किशोर प्रसाद यादव, लालकिशोर यादव उर्फ मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार, अरज किशोर यादव उर्फ अरज किशोर प्रसाद यादव, सुरेन्द्र यादव उर्फ सुरेन्द्र प्रसाद यादव, विजय यादव उर्फ विजय प्रसाद यादव, राम श्रृंगार यादव उर्फ राम श्रृंगार राय एवं संगीता देवी द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/-रु. के बंध-पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा- 438(2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि :-

1. आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

2. जमानतदारो में से एक-एक जमानतदार आवेदकगण का नजदीकी रिश्तेदार माता, पिता, भाई, बहन एवं पत्नी होंगे।

3. आवेदकगण अग्रिम जमानत से मुक्ति के पश्चात् यदि इसी तरह के मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो जमानतदार इसकी सूचना से संबंधित शपथ-पत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करेंगे तथा विद्वान विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि शर्तो के दुरूपयोग के आधार पर आवेदक का बंध-पत्र रद्द कर सकेगे।

4. आवेदकगण किसी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, यदि ऐसा करता है तो उसका बंध-पत्र रद्द किया जा सकता है।

5. आवेदकगण अग्रिम जमानत से मुक्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के अन्दर इस आदेश की प्रति के साथ स्थानीय थाना के थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होगा एवं आरोप गठन होने तक हर पखवाड़े में थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएगा ।

कार्यालय आदेश की एक प्रति संबंधित थाना प्रभारी को भेजे तथा संबंधित थाना प्रभारी आवेदकगण के द्वारा आदेश के अनुपालन का प्रतिवेदन संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को उपलब्ध कराए।

लेखापित

ह0/-
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 07.04.2026

5. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari, A.B.P. No. 1115/2026, dt. 07.04.2026, Awadh Kishor Yadav @ Awadh Kishore Prasad Yadav & six others. Vrs. State of Bihar.